

Order Sheet [Contd]

प्र० क्र०

73/16 SPCL

to of

Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessa

12-11-16

परिवादी विद्युत विभाग द्वारा कार्यापालन यंत्री की ओर से
सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री मी सहित उनके
अधिवक्ता श्री विक्रम शंकर उप०।

आरोपी/गण सहित/द्वारा अधि० श्री नरेश सिंह आदि
उप०/आरोपी अनुपस्थिति।

प्रकरण नेशनल/मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है।

यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत
अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।
इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम
का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त
कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री ने अपने
अधिवक्ता सहित एक आवेदन पेश कर आवेदन किया कि इस
मामले में आरोपी पक्ष के द्वारा विद्युत विल की बकाया राशि जमा
की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत
विभाग यह परिवाद बढाना नहीं चाहता है, कार्यवाही समाप्त की
जावे।

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त
आवेदन के आलोक में इस नेशनल/मेगा लोकअदालत में परिवादी
विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। उक्त
आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे
अदम बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है।

परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

रजिस्ट्रार कु०-1

रजिस्ट्रार कु०-2

डी०सी० थपलियाल

पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क०-19

एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम

गोहद जिला सिप्ट